

80 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ और दवियांग मतदाताओं को मलिंगी पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा

चर्चा में क्यों?

13 अक्टूबर, 2023 को राज्य के मुख्य नरिवाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं ज़िला नरिवाचन अधिकारियों को 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के मतदाताओं और दवियांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा के संबंध में आवश्यक दिशा-नरिदेश दिये।

परमुख बदि

- मुख्य नरिवाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि सभी ज़िला नरिवाचन अधिकारी ऐसे पात्र मतदाताओं को फॉर्म 12 डी का वतिरण बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से कराएँ।
- साथ ही अनुपम राजन ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के मतदाता, 40 प्रतिशत से अधिक के दवियांग मतदाता या अत्यावश्यक सेवाओं में संलग्न मतदाता के नाम से पोस्टल बैलेट जारी हो गया है, तो फिर वह किसी भी मतदान केंद्र में जाकर मतदान नहीं कर सकेगा।
- मुख्य नरिवाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत नरिवाचन आयोग द्वारा नागरिकों के लिये सी-वज़िलि ऐप बनाया गया है। कोई भी नागरिक सी-वज़िलि ऐप के माध्यम से आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है।
- नागरिक स्मार्ट मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सी-वज़िलि ऐप को डाउनलोड कर सकता है। 100 मिनट में शिकायत का नरिकरण किया जाएगा। उन्होंने कलेक्टर एवं ज़िला नरिवाचन अधिकारियों को सी-वज़िलि ऐप से मिलने वाली शिकायतों का नरिधारित समय-सीमा में नरिकरण करने के नरिदेश दिये।



